"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 261-अ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 25 जून 2013—आषाढ़ 4, शक 1935

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जून 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-2/आठ-परि./2013.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, एतद्द्वारा उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर विचार किया जाएगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्पलेक्स, मंत्रालय, रायपुर (कक्ष क्र. SO-4/10), के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

नियम 55-क के उप-नियम (1) के खण्ड (घ) में शब्द "एक हजार संख्याओं के भीतर" के स्थान पर, शब्द "दो हजार संख्याओं के भीतर" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2013

क्रमांक एफ 5-2/आठ-परि./2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-06-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, उप-सचिव.

Raipur, the 25th June 2013

NOTIFICATION

No. F 5-2/VIII-Tr./2013.—The following draft of amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 65 of the Chhattisgarh Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 212, of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken in to consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours by the office of the Principal Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Transport, Mantralaya Mahanadi Bhawan, Naya Raipur (Room No. SO-4/10), shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

In clause (d) of sub-rule (1) of Rule 55-A, for the words "within thousand numbers," the words "within two thousand numbers," shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
EMIL LAKRA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.